महत्वपूर्ण

संख्या-9/2015/677/60-1-15-1/03(49)/02 टी0सी0

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
लखनऊ

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांक 14 मई, 2015

विषय:- पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से पूर्ण कराये जाने के संबंध में कार्यवाही सुनिशिचत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना को पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से संचालित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन कर शीघ्र अग्रेतर कार्यवाही सुनिशिचत कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाये :-

(1) पी0एफ0एम0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 31.03.2015 तक जो खाते स्वीकृत किये गये है, परन्तु अभी तक खातों के पुन: सत्यापित न कराये जाने के कारण भुगतान नही किया जा सका है, उन खातों में पुन: सत्यापन की कार्यवाही माह मई 2015 के अन्त तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 की द्वितीय तिमाही में उपरोक्तानुसार जो खाते (लगभग एक लाख खाते) अनुपयुक्त पाये गये है, उन्हे सत्यापनोपरान्त पुन: इस वर्ष 15 मई की तिथि से भुगतान की कार्यवाही वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट से किया जायेगा।

(3) जिन लाभार्थियो के नाम विभिन्न कारणो से अस्वीकृत यथा गलत खाता नम्बर/नाम एवं पते/आईएफसी कोड/बैंक का नाम इत्यादि किये गये है, उन्हें माह मई के अन्त तक सार्थक प्रयास कर प्रत्येक दशा में ठीक कराया जाये। ठीक कराये उक्त खातों को नये खाते के रूप में माना जाये तथा विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय किश्त में उन्हें शामिल न किया जाये। उपरोक्तानुसार सही कराये गये खातों को नये

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खाते के रूप में ही माना जाये तथा विगत वित्तीय वर्ष 2014-15 के द्वितीय किश्त में उन्हें शामिल नही किया जायेगा । इन खातो को केवल वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में शामिल किया जाये।

(4) सभी सत्यापित खातो में पेंशन का भुगतान चार किश्तों में (जून, सितम्बर, दिसम्बर, फरवरी) में किया जायेगा।

(5) बन्द हुये खातों के संबंध मे बैंक से सम्पर्क कर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिशिचत की जाये। यह भी उलिलखित किया जाये कि खातों के बन्द होने के क्या कारण है जैसे खाता धारक जीवित है कि नही, कितने समय से खाता बन्द है इत्यादि। यदि बैंक खातों में कोई निषिक्रय धनराशि पड़ी है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कराया जाये।

2- उपरोक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में श्रीमती आरती श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण निदेशालय द्वारा प्रतिदिन अनुश्रवण किया जायेगा तथा प्रत्येक दिवस की रिपोर्ट से निदेशक, महिला कल्याण को अवगत कराया जायेगा। इस कार्य में महिला कल्याण निदेशालय से श्री सतीश द्वारा एन0आई0सी0 से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे। उपरोक्त निर्देशों से सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को अपने स्तर से अवगत कराते हुए कृत कार्यवाही से समयान्तर्गत अवगत कराना सुनिशिचत करें।

भवदीया,

(रेणुका कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-9/2015/677(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त उपमुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- संयुक्त निदेशक, महिला कल्याण , उ0प्र0 लखनऊ।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in